Government of India
National Commission for Scheduled Tribes

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

File No. BS/1/2017/MHIP1/RU-III

Date:25.07.2018

To,

The Chairman & Managing Director,
Bharat Heavy Electricals Limited,
Siri Fort, New Delhi-110049

विषय: दिनांक 15–03–2018 को माननीय उपाध्यक्ष द्वारा भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड के अधिकारियों के साथ हुई बैठक का कार्यवृत ।

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of Proceedings of the Sitting taken by Ms. Anusuiya Uike, Hon'ble Vice-Chairperson of National Commission for Scheduled Tribes (NCST) on 15.03.2018 for information and necessary action.

It is, requested that action taken report in this regard may please be sent to the Commission within months' time.

Encl: As above.

Yours faithfully,
25/7/2018
(D.S. Kumbhare)
Under Secretary

Copy for information and necessary action to:

1. Shri Banavath Sydulu,
   BHEL-HPVP Scheduled Tribes Welfare Association,
   Akkireddyppalem, BHPV,
   Visakhapatnam-530012
2. PS to Hon'ble Chairperson, NCST
3. SAS, NIC, NCST upload on the web site.

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

F. No. – BS/1/2017/MHIP3/SEOTH/RU-III

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेडके द्वारा अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के प्रति अन्याय तथा भेदभाव करने के मामले में श्री वनावथ सिड्डुलु, अध्यक्ष, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड-एचपीवीपी अनुसूचित जनजाति वेलफेयर एसोसिएशन, डी. न.- 1-6-69, अकायरेड्डीपलम, बीएचपीवी (पोस्ट) विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसूईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में दिनांक 15.03.2018 को आयोग में संपन्न हुई बैठक का कार्यवृत्त ।

बैठक की तिथि : 15.03.2018

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट 'क'

---

1. श्री वनावथ सिड्डुलु, अध्यक्ष, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड-एचपीवीपी अनुसूचित जनजाति वेलफेयर एसोसिएशन, डी. न.- 1-6-69, अकायरेड्डीपलम, बीएचपीवी (पोस्ट) विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश ने दिनांक 30.05.2017 को आयोग में अभ्यावेदन देकर भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेडके द्वारा अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के प्रति अन्याय तथा भेदभाव करने के मामले में न्याय दिलाने का निवेदन किया।
2. आयोग ने इस मामले में दिनांक 21.09.2017 को नोटिस भेजकर 15 दिन के अंदर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड से जानकारी मांगी। इसके प्रत्युत्तर मे कोई जवाब प्राप्त नही हुआ।
3. इस मामले में अभ्यावेदक द्वारा पुनः निवेदन किये जाने के पश्चात् आयोग ने दिनांक 15.03.2018 को आयोग में चर्चा के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को बुलाया। दिनांक 15.03.2018 को आयोग में चर्चा के लिए श्री डी. बंदोपाध्याय, निदेशक (एचआर), श्री अनिल कपूर, महाप्रबंधक (एचआर&सीसी), श्री समीर मुखर्जी, महाप्रबंधक (एचआर) उपस्थित हुए।
4. आयोग ने अभ्यावेदक को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया। अभ्यावेदक ने आयोग को अवगत कराया कि कंपनी मे बहुत सारे कर्मचारी फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर अनुसूचित जनजाति वर्ग मे नौकरी कर रहे हैं। उन्होंने आयोग को यह भी बताया

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

कि विजाग यूनिट मे अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। विगत भर्ती के दौरान 567 लोगों का चयन किया गया जिसमे एक भी अनुसूचित जनजाति वर्ग का व्यक्ति शामिल नही है। कैजुअल कर्मचारी को नियमित कर्मचारी के रूप मे परिवर्तित करने के लिए आरक्षण का पालन नही किया जा रहा है। अभ्यावेदक ने आयोग से इस मामले में न्याय का निवेदन किया।

5. आयोग ने उपस्थित अधिकारियों से अभ्यावेदक की शिकायत पर जानकारी माँगी। इस पर कंपनी के अधिकारियों ने आयोग को अवगत कराया कि बीएचपीवी मे कभी भी अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव नही किया है। कुल 939 कर्मियों मे से 8.7% कर्मी अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं। अभ्यावेदक ने जो मामला उठाया है वह उक्त अवधि मे विचारार्थ न्यायाल मे था। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले मे उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर कुल 18 मे से 4 को सामान्य वर्ग मे परिवर्तित किया गया इनमे से अभी 1 कर्मी कार्यरत है। कैजुअल से नियमित किए जाने के मामले मे अधिकारियों ने आयोग को अवगत कराया कि आर्बिट्रेशन के आदेश के आधार पर 22 कर्मियों को नियमित किया गया है।

6. आयोग ने सभी पक्षों को सुनने तथा दस्तावेजों का परीक्षण करने के पश्चात् निम्नलिखित संस्तुतियां की:-

- कंपनी निम्नलिखित जानकारी आयोग को 15 दिनों के अंदर उपलब्ध कराये:-
  बीएचपीवी मे प्रत्येक स्तर पर कोटिवार कर्मियों की सम्पूर्ण जानकारी, शॉर्टफॉल, बैकलॉग की स्थिति की जानकारी फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्त कर्मियों की पहचान किए जाने और उन पर की गई कार्यवाही का सम्पूर्ण विवरण।
- कंपनी द्वारा नियुक्त लाइजन अधिकारी के साथ प्रति 3 माह मे एक बैठक करना सुनिश्चित करें।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट- क

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

F. No. – BS/1/2017/MHIP3/SEOTH/RU-III

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के द्वारा अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के प्रति अन्याय तथा भेदभाव करने के मामले में श्री वनावथ सिड्डुलु, अध्यक्ष, बीएचईएल-एचपीवीपी अनुसूचित जनजाति वेलफेयर एसोसिएशन, डी. न.- 1-6-69, अकायरेड्डीपलम, बीएचपीवी (पोस्ट) विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसूईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में दिनांक 15.03.2018 को आयोग में संपन्न हुई बैठक में उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. सुश्री अनुसुईया ऊइके, माननीय उपाध्यक्ष
2. श्री शिशिर कुमार रथ, संयुक्त सचिव
3. श्री आर. के. दुबे, सहायक निदेशक
4. श्री गौरव कुमार, उपाध्यक्ष के निजी सचिव

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के अधिकारी

1. श्री डी. बंदोपाध्याय, निदेशक (एचआर)
2. श्री अनिल कपूर, महाप्रबंधक (एचआर&सीसी)
3. श्री समीर मुखर्जी, महाप्रबंधक (एचआर)

अभ्यावेदक

1. श्री वनावथ सिड्डुलु